

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर

पत्रांक 574 / 2-6 दिनांक, गोरखपुर, सितम्बर, 02/2022

Office Phone/Fax No. 0551-2333558 E-Mail ID- ccfgorakhpurmandal@gmail.com

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय : भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (पी.आई.यू.) गोरखपुर में सोनौली-गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 29ई के किमी० ०.०० से किमी० ८१.२०४ तक के ४ लेन चौड़ाकरण में प्रयुक्त हो रहे ८.३१३७ हे० आरक्षित वन भूमि एवं ०.०६०९ अवर्गीकृत वन भूमि सहित कुल ८.३७४६ हे० वन भूमि पर गैर वानिकी प्रयोग एवं उसमें बाधक ८४९ बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ : प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर का पत्रांक-९९९/२-६ दिनांक- ०१.०९.२०२२

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर ने अपने पत्रांक-९९९/२-६ दिनांक ०१.०९.२०२२ (प्रति संलग्न) द्वारा विषयांकित प्रस्ताव ऑनलाइन कर इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है।

अतः विषयांकित प्रस्ताव की तीन प्रतियां संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक : यथोपरि।

१- पेनड्राइव ३ अद्द।

भवदीय

(भीमसेन)

मुख्य वन संरक्षक

गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर

संख्या -अ/उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(भीमसेन)

मुख्य वन संरक्षक

गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर

PART-III**(To be filled by the concerned Conservator of Forests)**

14. Whether site, where the forest land involved is located has been inspected by concerned Conservator of Forests (Yes/No). If yes, the date of inspection & observations made in form of inspection note to be enclosed. **नहीं**

15. Whether the concerned Conservator of Forests agree with the information given in Part-B and the recommendations of Deputy Conservator of Forests. **सहमत है।**

16. Specific recommendation of concerned Conservator of Forests for acceptance or otherwise of the proposal with detailed reasons. **सहायक वनोद्धार करने की अनुमति दी जाती है।**

Date:- **1-9-2022**

Place:- **गोरखपुर**

Signature

Name

Official Seal

रमेश चन्द्र शर्मा
उप-निरीक्षक, गोरखपुर